कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ /जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत रामप्रकाश सारस्वत, व्याख्याता, जीव विज्ञान का स्थानांतरण राज0 पोद्दार उमावि, गांधी नगर, जयपुर से राउमावि, लोरडा गढी, बांसवाड़ा किया गया। रामप्रकाश सारस्वत ने अपने स्थानांतरण के विरूद्व माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3130/2019 रामप्रकाश सारस्वत बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.10.2019 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी रामप्रकाश सारस्वत द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसे इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/अभ्यावेदन/रामप्रकाश सारस्वत/ को.के/19–20 दिनांक 28.11.2019 द्वारा खारिज कर निस्तारित किया गया। उक्त अभ्यावेदन निस्तारण आदेश के विरूद्व श्री रामप्रकाश सारस्वत द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में याचिका संख्या 20713/2019 रामप्रकाश सारस्वत बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 20713/2019 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकः 16.12.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री रामप्रकाश सारस्वत के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 29.09.2019 की याचिकार्थी के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

जिसके फलस्वरूप **श्री रामप्रकाश सारस्वत**, माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन राज0 पोद्दार उमावि, गांधी नगर, जयपुर में व्याख्याता, जीव विज्ञान के पद पर यथावत पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानांतरित **जितेन्द्र कौर** को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर में आगामी आदेश तक दी जानी सुनिश्चित करें।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/अभ्यावेदन/रामप्रकाश सारस्वत/ को.के/19–20 दिनांक–19/12/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित संस्था प्रधान।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्पयुटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

e:\c-4 letter file 21-08-19\court case cbh 2019\k-k transfer parivedna.docx

Scanned by CamScanner